प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0
लखनऊ

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश
2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला/संयुक्त) उत्तर प्रदेश
3. निदेशक,डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय लखनऊ,डा0 एस0पी0एम0(सिविल) चिकित्सालय लखनऊ,बलरामपुर चिकित्सालय,लखनऊ एवं ओपेक चिकित्सालय कैली बस्ती।

पत्र संख्याः– प्रशि0 प्रको0/फार्म0अप्रे0/एस0/2019–20/16 लखनऊः दिनांक 02/5/2019

विषयः– बी0फार्मा के विद्यार्थियों को अंतिम वर्ष के उपरान्त चिकित्सालय प्रशिक्षणके संबन्ध में।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 2321 दिनांक 18.07.2014 का सर्दभ ग्रहण करे उक्त के संबन्ध मे अवगत कराना है–

1. फार्मेसी एक्ट 1948 में निहित नियमों के अन्तर्गत पारित एजूकेशनल रेगुलेशन 1991 के अध्याय 3 का पैरा–20 (I/II) के अनुसार डिप्लोमा इन फार्मेसी उत्तीर्ण छात्रो को राजकीय चिकित्सालयों मे 500 घंटे (न्यून्तम 3माह) का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान है। एजुकेशन रेगुलेशन 1991 के अनुसार जिन चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रो में फार्मेसिस्ट कार्यरत है वहां फामेस्टिों की संख्या से एक अधिक प्रशिक्षु फार्मेसिस्ट को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना है।
2. यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–3 खण्ड–4 में मुद्रित बी0फार्मा पाटयक्रम विनिमय 2014 के अध्याय–2 पैरा–7 में दिये गये निर्देशो के अनुरूप बैचलर इन फार्मेसी छात्रो को अध्ययन कम के दूसरे वर्ष के पश्चात 150 घण्टे (कम से कम 45दिन) एवं तृतीय वर्ष के उपरान्त 150 घण्टे (कम से कम 45 दिन) का भेषजी व्यवहार (हास्पीटल/कम्यूनिटी फार्मेसी) का व्यवहारिक प्रशिक्षण चिकित्सालयो/स्वास्थ्य केन्दों मे शिक्षा के उद्देश्य से दिया जाता है जो स्टेट फार्मेसी कॉसिल उ0प्र0 के रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं है।

उक्त के कम मे बैचलन इन फार्मेसी के छात्रों को रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से अंतिम वर्ष के छात्रों को VIII सैमिस्टर के उपरान्त (150 घण्टे से 500 घण्टे) का चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्दो मे व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करे ताकि छात्रों के रजिस्ट्रेशन मे कोई व्यवधान पैदा न हो सके।

भवदीय
निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0
लखनऊ

पृष्ठांकन संख्याः– प्रशि0 प्रको0/फार्म0अप्रे0/एस0/2019–20/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
2. समस्त प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष फार्मेसी कालेज उ0प्र0 को इस आशय के साथ अंतिम वर्ष के छात्रो को हास्पीटल प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करें।
3. स्टाफ ऑफीसर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
4. रजिस्टार स्टेट फार्मेसी कॉसिल उ0प्र0।

निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0
लखनऊ

Scanned by CamScanner